प्रादेशिक समाचार
दिनांक–18.12.2024 (सुबह 08:30 बजे)

मुख्य समाचार

1. **केंद्र ने झारखंड सरकार को बकाया रॉयल्टी देने से किया इनकार, इस मामले में केंद्र और राज्य आमने–सामने।**
2. **एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित दो विधेयक को समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव सदन ने किया पारित।**
3. **झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी करने पर लगाई रोक, 22 जनवरी को होगी सुनवाई, आंदोलन के दौरान गिरफ्तार छात्र नेता हुए रिहा।**
4. **सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में झारखंड की महिला टीम पहुंची फाइनल में।**

और

5. **राज्य में शीतलहरी और तेज हवाओं की वजह से पड़ रही कड़ाके की ठंड, कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे।**

****

केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार का 1 करोड़ 36 लाख रुपये बकाया देने से इनकार करने पर केंद्र और राज्य सरकार अपना अपना पक्ष रख रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस संबंध में भू राजस्व विभाग के द्वारा कोल इंडिया को पत्र के माध्यम से 15 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है।

झारखंड के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बकाया पैसा झारखंड सरकार का है किसी पार्टी का नहीं है।

इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा सांसदों से अपील की कि वे इस बकाया राशि को दिलवाने के लिए संसद में अपनी आवाज बुलंद करें।
इधर भाजपा विधायक सी पी सिंह ने कहा है कि बकाए ने नाम पर केंद्र सरकार को बदनाम किया जा रहा है।

****

एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित दो विधेयकों को सदन ने समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव पारित किया है। गौरतलब है कि केन्द्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक–2024 और केन्द्रशासित प्रदेश विधि संशोधन विधेयक–2024 कल सदन के पटल पर रखे। विधेयक सदन में पेश करने के बाद मत विभाजन की मांग हुई जिस में 2 सौ उन्हत्तर सदस्यों ने विधेयक पेश किए जाने के पक्ष में और 1 सौ अंठानबे सदस्यों ने इसके विरोध में मत किया।

विपक्षी दलों ने विधेयक पेश करने का विरोध किया और इसे संविधान के बुनियादी ढांचे पर प्रहार बताया।

श्री मेघवाल ने विपक्षी दलों के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ये विधेयक संविधान की मूल संरचना के खिलाफ नहीं है।

इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का स्वागत किया है।

****

झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि परीक्षा पेपर लीक होने के संबंध में दर्ज शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करे और अनुसंधान कर रिपोर्ट दे। झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी।

झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आंदोलन कर रहे छात्रों की जीत बताई। इधर, **जेएलकेएम** के छात्र नेता देवेंद्र महतो को पीआर बांड पर थाने से रिहा कर दिया गया है। गौरतलब है कि सीजीएल परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे देवेंद्र महतो सहित कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। देवेंद्र महतो ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब माननीय हाईकोर्ट ने भी यह मान लिया है कि सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी हुई है।

****

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय संविधान सरकार के लिए मात्र एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि पिछड़े वर्गों के कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा का मूलभूत स्रोत है। राज्यसभा में भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा में गृह मंत्री ने विपक्ष के इस आरोप का जवाब दिया कि संविधान की अनदेखी की जा रही है।

****

राज्य में शीतलहरी और तेज हवाओं की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 18 और 19 दिसम्बर को मौसम शुष्क रहेगा। 20 दिसंबर को पूर्वी सिंहभूम समेत चार जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं–कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

****

टाटा तीरंदाजी अकादमी (टीएए) की दो तीरंदाज, अंकिता भकत और कोमलिका बारी ने झारखंड की महिला टीम को सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा दिया है। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में पांच दिवसीय राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप चल रही है।

महिला टीम का फाइनल मैच 20 दिसंबर को होगा जिसमें झारखंड टीम का सामना मध्य प्रदेश की टीम से होगा।

****

और अब कुछ संक्षिप्त खबरें–

- दुमका जिले में 18 दिसंबर को दूसरी बार जन शिकायत निवारण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में जनता की शिकायतों का जल्द समाधान किया जाएगा।
- खूंटी जिले में डालसा ने **विधान से समाधान** विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस के तहत घरेलू हिंसा, बाल यौन शोषण, किशोरी और नाबालिगों से जुड़े अपराधों समेत महिलाओं के अधिकारों को लेकर कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया।

- गुमला जिले में 19 से 24 दिसंबर 2024 तक **सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर** अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन को बढ़ावा देना और सरकारी योजनाओं को जनमानस तक सुगमता से पहुँचाना है।

****

और अब अखबारों की सुर्खियां

रांची से प्रकाशित अधिकतर अखबारों ने जेएसएससी–सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने इसके परिणाम प्रकाशन पर अगले आदेश तक रोक लगाने को प्रमखता दी है।

हिन्दुस्तान लिखता है– सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट पर रोक।

दैनिक भास्कर ने लिखा है– सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक।

दैनिक जागरण के शब्द हैं– कोर्ट ने सीजीएल परीक्षा के अंतिम परिणाम के प्रकाशन पर लगाई रोक।

प्रभात खबर ने बकाया एक करोड़ छत्तीस लाख पर एक्शन में हेमंत सरकार, दिया पंद्रह दिन का अल्टीमेटम– झामुमो बोला, रोक देंगे कोयला।

अंग्रेजी अखबार **द टाइम्स ऑफ इंडिया** और **हिन्दुस्तान टाइम्स** ने लोकसभा में पेश हुए वन नेशन वन इलेक्शन की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

**********समाप्त**********